सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, मेरठ।

महोदय,

आज दिनांक–31.01.2022 को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में स्थित शेष 17 दुकानों की वित्तीय वर्ष 2021–2022 में निर्धारित वस्तुओं के दुकानों के स्थान के टैण्डर के सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश, मेरठ के द्वारा गठित समिति की बैठक, समिति अध्यक्ष, अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष सं०–01 के विश्राम कक्ष में सम्पन्न हुई। जनपद न्यायालय परिसर में स्थित बकाया 17 दुकानों के टैण्डर आहूत किये जाने के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित पत्रांक सं0 3446/एडमिन(बी–1) सेक्शन इलाहाबाद दिनांकित 09.09.2021 पर विचार विमर्श किया गया।

उक्त पत्र के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनपद न्यायालय में स्थित 17 दुकानों जिनकी नीलामी वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिये नहीं हो पायी थी, के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं0 797/एडमिन (बी–1) दिनांकित 05.03.1994 के सापेक्ष सील टैण्डर के माध्यम से दुकानों का आवंटन किये जाने हेतु दिशा निर्देश प्रदान किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित पत्रांक में उल्लिखित उक्त परिपत्र के साथ साथ परिपत्र सं0 4004/एडमिन (बी–1) दिनांकित 21.12.1992 का भी समिति द्वारा अवलोकन किया गया तो पाया कि सील टैण्डर में आरक्षित मूल्य गत वर्ष की अधिकतम बोली होगा।

चूंकि वित्तीय वर्ष में लगभग 10 माह व्यतीत हो चुके है। जिसकारण आरक्षित मूल्य गत वर्ष की अधिकतम बोली का 02 माह के औसतन धनराशि निर्धारित किया जाना अपरिहार्य प्रतीत होता है।

अतः समिति की सर्वसम्मत राय के अनुसार उक्त सील बंद टैण्डर दिनांक 01.02.2022 से दिनांक 31.03.2022 तक की अवधि के लिये आमन्त्रित किया जाना उचित प्रतीत होता है। समिति यह भी राय व्यक्त करती है कि उक्त सील बंद टैण्डर दिनांक 07.02.2021 तक आमंत्रित किये जा सकते है।

समिति के द्वारा टैण्डर की कार्यवाही के सम्बंध में नियम व शर्ते निश्चित की गयी। टैण्डर की सूचना अधिकतम् लाभ तथा प्रसार हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित कराये जाने तथा सूचना, नियम व शर्ते जनपद एवं सत्र न्यायालय के नोटिस बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट के नोटिस बोर्ड व अन्य विभागों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वेबसाइट पर प्रसारित करने का निर्णय लिया गया। समिति के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त कार्यवाही की शर्ते व रिपोर्ट माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ व अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित हैं।

D. N. Goswami
01/02/2022
(देवेन्द्र नाथ गोस्वामी)
सदस्य, नीलामी समिति/
सिविल जज (सी0डि0),
मेरठ

01/2/22
(सुरेश चन्द–द्वितीय)
सदस्य, नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–03, मेरठ

(फूलचन्द पटेल)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–01, मेरठ

Seen & approved.
01/2/22

टैण्डर की नियम व शर्तें

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कचहरी परिसर स्थित विभिन्न 17 दुकानों जैसे चाय, हलवाई, चाटफल, फोटो स्टेट आदि के स्थान हेतु सीलबन्द टैण्डर वित्तीय वर्ष 2021–2022 की बकाया अवधि (दिनांक 01.02.2022 से 31.03.2022 तक) के लिये दिनांक–07.02.2022 तक की प्रातः 11:00 बजे तक आमन्त्रित किये जाते है। उक्त दुकानों के स्थान हेतु टैण्डर किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। टैण्डर के साथ धरोहर राशि जो कि नीलाम समिति द्वारा निर्धारित की गयी है, को नगद जमा अथवा ड्राफ्ट के रूप में कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा यदि धरोहर धनराशि जमा नहीं करायी जाती है तो टैण्डर पर विचार नहीं किया जायेगा। टैण्डर उसी दिन सायं 04:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष ख़ोले जायेंगे। कोई भी व्यक्ति टैण्डर खोलते समय यदि उपस्थित होना चाहे तो उपस्थित हो सकता है।

किसी भी टैन्डर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को होगा तथा माननीय जिला न्यायाधीश महोदय बिना किसी कारण बताये टैन्डर प्रकिया को निरस्त कर सकते है। टैण्डर के संबंध में विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नाजिर से प्राप्त की जा सकती है।

टैण्डर के नियम तथा शर्तें इस प्रकार है–

1. पिछले वर्ष के बकायादार को टैण्डर में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
2. टैण्डर में भाग लेने वाले व्यक्ति को 20 प्रतिशत सिक्योंरिटी धनराशि जमा करनी होगी जोकि पिछले वर्ष 2020–2021 के ठेके की धनराशि की 20 प्रतिशत होगी।
3. बोली जिसके नाम छूटेगी उसे तत्काल ठेके की सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी, और उसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्रों की अपेक्षानुसार एग्रीमेन्ट अपने व्यय पर निष्पादित करना होगा।
4. अधिक बोली दाता के पक्ष में ठेका छूटने पर यदि उसके द्वारा तत्काल सम्पूर्ण धनराशि जमा नही की जाती तो नीलामी समिति स्वविवेकानुसार अधिकतम् बोली के उपरान्त भी बोली बोलने वाले के पक्ष में बोली स्वीकृत कर सकती है और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को उसके द्वारा बोली गयी बोली की धनराशि तत्काल जमा करनी होगी।
5. यदि जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छोड़ी गयी अथवा नीलामी समिति द्वारा स्वीकृत की गई उसके द्वारा सम्पूर्ण धनराशि तत्काल जमा नहीं की गई तो उसकी सिक्योरटी–मनी जब्त कर ली जायेगी।
6. सभी वर्तमान विक्रेतागण को टैण्डर की शर्तो के अनुरूप बोली में भाग लेने का अधिकार रहेगा।
7. किसी ठेकेदार को स्थाई प्रकृति का निर्माण अथवा अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं होगा तथा देय दुकान उसकी ओर से अन्य किसी को किराये पर उठाने का अधिकार नहीं होगा।
8. टैण्डर में दुकान प्राप्त करने वाले बोलीदाता को निर्धारित स्थान से अतिक्रमण करने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
9. ठेकेदार को दुकान के आस–पास सफाई की व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी तथा गंदगी पाये जाने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
10. पान के ठेकेदार तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी तथा तम्बाकू से निर्मित सामग्री नहीं बेचेगें इस सम्बन्ध में उन्हें एक अन्डरटेकिंग देनी होगी।
11. ठेकेदार जो खाद्य सामग्री बिकी करेंगे वह खाद्य अपमिश्रित एक्ट के मानकों के अनुरूप होगी तथा कोई भी ठेकेदार अपमिश्रित खाद्य सामग्री का विकय नहीं करेगा।
12. खाद्य वस्तुओं का विकय करने वाले दुकानदार वैध कनेक्शन द्वारा एल० पी० जी० गैस का प्रयोग करेंगे और किसी तरह का प्रदूषण नहीं करेंगे तथा अग्नि शमन यंत्र उपलब्ध रखेगें।
13. किसी भी दुकानदार द्वारा ठेके पर दुकान प्राप्त करने के प्रयोजन के अलावा अन्य किसी कार्य हेतु दुकान का प्रयोग या उपयोग नहीं किया जायेगा और ना ही किसी अवैध कार्य में प्रयोग तथा किया कलाप में संलिप्त रहेगा।
14. ठेका शर्तों के उल्लघंन पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के जमा धनराशि जब्त करते हुये माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा निरस्त किया जा सकेगा तथा ठेकेदार/दुकानदार को अविलम्ब दुकान खाली करके कब्जा वापिस करना होगा अन्यथा दुकानदार/ठेकेदार के खर्चे पर खाली कराकर कब्जा लिया जावेगा और दुकान पुनः नीलामी/ टैण्डर आवंटन योग्य होगा।
15. दुकानदार विकय की जाने वाली वस्तु की सूची व मूल्य प्रदर्शित करेंगे तथा खुले व कटे खाद्य पदार्थो की बिकी नहीं करेंगे।
16. अपराधिक इतिहास वाले किसी भी व्यक्ति को बोली में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा यदि इस तथ्य को छिपाये जाने पर किसी व्यक्ति का ठेका यदि स्वीकृत हो जाता है, तब उसकी जानकारी होने पर ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसके द्वारा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

17. ठेके की बोली को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा एवं माननीय जनपद न्यायाधीश को अधिकतम बोलीदाता का ठेका भी बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
18. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दुकानदार को दुकान खाली कर कब्जा देना होगा अन्यथा वह प्रत्येक अतिरिक्त दिवस हेतु नीलामी राशि के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिकर राशि अदा करने का दायी होगा व इसके अतिरिक्त भी वह विधि अनुसार बेदखल होने का पात्र होगा।
19. कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार के गत्ते/प्लास्टिक के ग्लास एवं बर्तनों का प्रयोग नहीं करेगा एवं स्वच्छता का ध्यान रखेगा।
20. टैण्डर प्रकिया में दुकान का ठेका स्वीकृत हो जाने पर बोलीदाता को ठेका राशि की 25 प्रतिशत धनराशि का भुगतान तुरन्त करना होगा तथा शेष धनराशि का भुगतान 7 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अन्यथा की स्थिति में ठेका निरस्त कर जमानत की जमा धनराशि को सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा।
21. सभी दुकानदारों को अपने नाम से विधिक रूप से विद्युत कनेक्शन लेना होगा। जिसका उन्हें नियमित मासिक भुगतान करना होगा। भुगतान के सम्बंध में सूचना यथा समय नजारत अनुभाग में देनी होगी।
22. किसी भी दुकानदार द्वारा अपनी दुकान के आगे वाहन इत्यादि को खड़ा नहीं कराया जायेगा।
23. किसी भी दुकानदार द्वारा दुकानों में अनावश्यक रूप से तोड़फोड़ नहीं की जायेगी।
24. समस्त दुकानदार कोविड–19 के दिशा–निर्देशों का कठोरता से पालन करेगें।

D. N Goswami

(देवेन्द्र नाथ गोस्वामी)
सदस्य, नीलामी समिति/
सिविल जज सी0डि0,
मेरठ

(सुरेश चन्द–द्वितीय)
सदस्य, नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–03, मेरठ

(फूल चन्द पटेल)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–01, मेरठ

list of the shops situated in Civil Court Meerut premises for the Financial Year 2021-22					
SL. No.	Shop No.	Nature of shop	Min. Bid Amount for F.Y. 2020-21 10%	Min. Amount for F.Y. 2021-22 (For 2 Month)	Amount of Security 20% F.Y. 2021-22 (For 2 Month)
1	1	Tea	78210	13035	2607
2	2	Paan	97900	16317	3264
3	3	Tea	130075	21680	4336
4	5	Tea	141873	23645	4729
5	6	Tea	169950	28325	5665
6	8	Halwai	215380	35897	7180
7	11	Tea	136415	22736	4548
8	13	Tea	351263	58544	11709
9	16	Chat	130566	21761	4353
10	18	Photostate	190001	31667	6334
11	19	Coffee	132063	22011	4403
12	20	Photostat	205787	34298	6860
13	21	Fruit Chat	155901	25984	5197
14	23	Juice	146277	24380	4876
15	25	Paan	114466	19078	3816
16	28	JalPaan	301166	50195	10039
17	29	Photostate	266200	44367	8874
Total			**2963493**	**493920**	**98790**

टैण्डर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बकाया अवधि (दिनांक 01.02.2022 से 31.03.2022 तक) के लिये जनपद न्यायालय परिसर मेरठ में स्थित दुकानों जिसमें स्टेशनरी, फोटोस्टेट, जलपान, भोजन, फलो की चाट, पान इत्यादि का कार्य किया जा सकता है, के स्थान की टैण्डर दिनांक 07.02.2022 को प्रातः 11:00 बजे तक नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय मेरठ में आमन्त्रित किये जायेगे। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित दिनांक, समय तथा स्थान पर टैण्डर कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। टैण्डर की नियम व शर्ते तथा दुकानों पर किये जाने वाले कार्य नोटिस बोर्ड, नजारत अनुभाग तथा नीलामी स्थल पर देखें जा सकते हैं।

(राजीव कौशिक)
केन्द्रीय नाजिर,
जनपद न्यायालय, मेरठ।
CENTRAL NAZIR
CIVIL COURT
MEERUT

टैण्डर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बकाया अवधि (दिनांक 01.02.2022 से 31.03.2022 तक) के लिये जनपद न्यायालय परिसर मेरठ में स्थित दुकानों जिसमें स्टेशनरी, फोटोस्टेट, जलपान, भोजन, फलो की चाट, पान इत्यादि का कार्य किया जा सकता है, के स्थान की टैण्डर दिनांक 07.02.2022 को प्रातः 11:00 बजे तक नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय मेरठ में आमन्त्रित किये जायेगे। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित दिनांक, समय तथा स्थान पर टैण्डर कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। टैण्डर की नियम व शर्ते तथा दुकानों पर किये जाने वाले कार्य नोटिस बोर्ड, नजारत अनुभाग तथा नीलामी स्थल पर देखें जा सकते हैं।

(राजीव कौशिक)
केन्द्रीय नाजिर,
जनपद न्यायालय, मेरठ।
CENTRAL NAZIR
CIVIL COURT
MEERUT